राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5298/2022

भगवान सहाय जारोडिया —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. अब्दुल हनीफ खान, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अंधेरी, देवरी, अजमेर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.10.2022
आदेश की दिनांक : 17.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के.गौतम, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री आशीष सक्सेना, अभिभाषक
विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटेल, ब्यावर, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.12.1991 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति विकलांग कोटे से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नया गांव, मसूदा, अजमेर से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था तथा उक्त आदेश के क्रम में यहाँ पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.08.2022 (अनुलग्नक–3) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अंधेरी, देवरी, अजमेर 30 कि.मी. दूर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित

(Accommodate) करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गा है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा विकलांग विशेष योग्यजनों की नियुक्ति/पदस्थापन के समय उन्हें उनके इच्छित अथवा नजदीकी स्थान पर नियुक्त/पदस्थापन किये जाने पर विचार किया जाये, जिसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण 30 कि.मी. दूर कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नैतराम यादव बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.08.2022 (अनुलग्नक–7) एवं माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1754/2020 अनिता बैरवा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 (अनुलग्नक–8) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटेल, ब्यावर, अजमेर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 की अनुपालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक आर–4/1) को कार्यमुक्त होकर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक आर–4/2) को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया। गूगल मैप एवं सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, ब्यावर के पत्र दिनांक 14.11.2022 (अनुलग्नक आर–4/3 एवं 4) द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटेल, ब्यावर, अजमेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अंधेरी, देवरी, अजमेर के बीच की दूरी 7.1 कि.मी एवं 6 कि.मी. ही है, जबकि अपीलार्थी द्वारा 30 कि.मी. दूरी गलत बताई गई है। यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 9(vii)(2) के प्रावधान के अनुसार यात्रा भत्ता के लिए 15 कि.मी. की दूरी आवश्यक है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 11.12.1971 से 12.10.2022 तक की अवधि में केवल मात्र दिनांक 24.06.2019 से 08.08.2022 ब्लॉक मसूदा को छोड़ कर सम्पूर्ण कार्यकाल में ब्लॉक जवाजा में ही पदस्थापित रहे। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान स्थल पर दो माह पूर्व ही कार्यभार ग्रहण किया गया था। अपीलार्थी विकलांग है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी तीन सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य